सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : बीलवाडी, **कैम्प दिनांक 24.05.2018**

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 50/2009 **दायर तारीख 23.06.2009**

1. ओमप्रकाश
2. हरिप्रसाद
3. रामनारायण

} पुत्रान गणपत, जाती गुर्जर निवासी बासउदयसिंह तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

4. लाडा देवी पत्नी गणपत (फौत, नाम हजफ आदेश दिनांक 05.04.2018)
5. बिमला पुत्री गणपत पत्नी डालूराम
6. कमली पुत्री गणपत पत्नी ओमप्रकाश

} जाती गुर्जर निवासी पणदौ तहसील विराटनगर, जयपुर

7. छींतर पुत्र धूडा जाती गुर्जर निवासी बासउदयसिंह हाल निवासी ढाणी चेचावाला तन आमलोदा तहसील विराटनगर

—: वादीगण

बनाम

1. कालू पुत्र शिवलाल
2. छाजू पुत्र रामसुख (फौत)
   - 2/1. भंवरलाल
   - 2/2. बहादुर
   - 2/3. गिरधारी
   - 2/4. सोहनलाल
   - 2/5. हंसराज

   } पुत्रान छाजू
   - 2/6. परभाती पत्नी शैतान पुत्र छाजू
   - 2/7. फूलचन्द
   - 2/8. बबलेश

   } पुत्रान शैतान

   जाती गुर्जर निवासी बासउदयसिंह तन बीलवाडी, तहसील विराटनगर जिला जयपुर

   - 2/9. धोली पुत्री शैतान पत्नी सीताराम
   - 2/10. बबली पुत्री शैतान पत्नी महेश

   } जाती गुर्जर निवासी भोजेरा तहसील विराटनगर

3. चूना पुत्र रामसुख
4. बिदामी पत्नी घींसा
5. मोती उर्फ श्रवण
6. श्योसहाय
7. प्रहलाद

} पुत्रान घींसा

जाती गुर्जर निवासी बासउदयसिंह तन बीलवाडी, तहसील विराटनगर जिला जयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8. गंगा
9. माना — पुत्रियां घींसा
10. धूडी — जाती गुर्जर निवासी बास उदयसिंह
11. बब्बू — तहसील विराटनगर, जयपुर
12. नाथी
13. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय तहसील विराटनगर, जयपुर
14. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री गणपतलाल पंसारी, अधिवक्ता वादीगण
श्री आनन्द सिंह शेखावत अधिवक्ता प्रतिवादी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 24.05.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बास उदयसिंह तन बीलवाडी के साबिक खसरा नम्बर 549 रकबा 5 बीघा 6 बिसवा, खसरा नम्बर 550 रकबा 6 बीघा पर संवत् 2019 खसरा गिरदावरी से वादीगण के बुजुर्ग धूडा पुत्र रामचन्द्र का कब्जा काश्त रहा है, तथा आज भी वादीगण अपने बुजुर्गो के समय से काबिज काश्त है। हाल सैटलमेंट के द्वारा साबिक खसरा नम्बर 549 रकबा 5 बीघा 6 बिसवा से हाल खसरा नम्बर 1250/0.27, 1251/1.06 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.33 हैक्टेयर एवं साबिक खसरा नम्बर 550 रकबा 6 बीघा से हाल खसरा नम्बर 1252/0.26, 1253/0.64, 1259/0.31, 1260/0.07, 1261/0.29, हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.57 हैक्टेयर बने है।
   हाल खसरा नम्बर 1250, 1251, 1252, 1253, 1259, 1260, 1261 में वादीगण के नाम खसरा नम्बर 1251, 1261 की खातेदारी जरिए सैटलमेंट वादीगण के नाम हो चुकी है एवं खसरा नम्बर 1261 में बोरिंग बना हुआ है। खाता संख्या 21 में दर्ज खसरा नम्बर 1252/0.26, 1253/0.64, 1259/0.31 हैक्टेयर में खाता संख्या 19 में दर्ज खसरा नम्बर 1250/0.27 हैक्टेयर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है, उक्त दोनो खातों की भूमि वादीगण के साबिक खसरा नम्बर 549, 550 से बने है, जो वादीगण के कब्जे काश्त मे है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 1252, 1253, 1259, 1260, 1250 पर वादीगण का अपने बुजुर्गो के समय से कब्जा काश्त है, इसलिए लगातार कब्जा से वादीगण का इस भूमि पर खातेदारी अधिकार स्वामित्व उत्पन्न हो गया है। अतः अतः निवेदन है कि ग्राम बास उदयसिंह के खाता संख्या 21 में दर्ज हाल खसरा नम्बर 1252/0.26, 1253/0.64, 1259/0.31, 1260/0.07 हैक्टेयर किता 4 रकबा 1.28 हैक्टेयर से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से दखल नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाबदावा पेश किया।

3. प्रतिवादीगण का जवाब रहा कि साबिक खसरा नम्बर 549 रकबा 5 बीघा 6 बिसवा, 550 रकबा 6 बीघा भूमि कभी भी वादीगण के बुजुर्गो की खातेदारी में दर्ज नहीं रही हैं, न ही वादीगण के बुजुर्ग धूडा ने आराजी मुतनाजा पर काश्त की है, यदि तत्कालीन पटवारी ने संवत् 2019 फसल गिरदावरी में धूडा का नाम दर्ज किया है, तो उससे खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं होते है, क्योंकि फसल गिरदावरी एज ऑफ राइट संबंधी दस्तावेज की तारीफ में नहीं आती है। महज एक वर्ष की गिरदावरी मे नाम आने के आधार पर वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है।

   वादीगण के बुजुर्ग धूडा पुत्र रामचन्द्र ने हाल सैटलमेंट मे साजकर प्रतिवादीगण की भूमि साबिक खसरा नम्बर 549 व 550 से बने हाल खसरा नम्बर 1251/1.06, 1261/0.29 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.35 हैक्टेयर की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराली, जबकि उक्त आराजी से वादीगण अथवा उनके बुजुर्ग धूडा का कभी कोई संबंध नहीं रहा है।

   सैटलमेंट कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय और आदेश के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टियों को बदलने के अधिकार नहीं होने के बावजूद वादीगण के बुजुर्ग धूडा पुत्र रामचन्द्र के नाम प्रतिवादीगण की भूमि का इन्द्राज किया है, जो काबिल दुरूस्ती है। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष आधारहीन है। अतः वाद वादीगण मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया साबिक खसरा नम्बर 549, 550 से बने हाल खसरा नम्बर 1252, 1253, 1259, 1260, 1250 वाके ग्राम बास उदयसिंह तहसील विराटनगर वादी के बुजुर्गो की खातेदारी एवं वादीगण के कब्जे काश्त की कदीमी भूमि होने से, प्रतिवादीगण कब्जा काश्त नहीं होने से प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ?

–– जिम्मे वादी

2. आया वादीगण के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ? **–– जिम्मे वादी**

3. आया आराजी जेरबहस पर वादीगण का या उनके बुजुर्गो का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा, न ही वादीगण, प्रतिवादीगण के सजरा खानदान मे है, वाद बिनाय हेतुक निराधार पेश होने से खारिज योग्य है ?

–– जिम्मे प्रतिवादी

4. वादी ने अपने वादपत्र/तनकीयात के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल मिलान क्षेत्रफल Ex.-2, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2019 Ex.-3, नकल जमाबन्दी (खतौनी) खाता संख्या 21 संवत् 2062–2065 Ex.-4, नकल जमाबन्दी (खतौनी) खाता संख्या 19 संवत् 2062–2065 Ex.-5, नकल नक्शा ट्रेस Ex.-6 आदि पेश कर प्रदर्शित करवाये।
   मौखिक साक्ष्य के रूप में ओमप्रकाश पुत्र गणपतराम PW-1, लक्ष्मणसिंह पुत्र कानसिंह, राजेन्द्र उर्फ हनुमान पुत्र गुल्लाराम के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश कर गवाह PW-1 जिरह मे परीक्षित करवाया गया।
5. प्रतिवादीगण ने अपने जवाब/तनकियात के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी (खतौनी) खाता संख्या 21, 19 संवत् 2062–2065, नकल नक्शा ट्रेस, आंशिक नकल नक्शा तरमीमी लठ्ठा ट्रेस, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल खतौनी जमाबन्दी संवत् 2042, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 20, 243 संवत् 2035–2039 आदि पेश किये।
6. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बीलवाडी में वास्ते राजीनामा से प्रकरण के निस्तारण हेतु पेश हुआ है। उपस्थित पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश नहीं किया गया।
7. पक्षकारान व वकुलाय को मजमा–ए–आम सुना गया।
8. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। तनकीवार विवेचन इस प्रकार है :–

तनकी संख्या 1 :– आया साबिक खसरा नम्बर 549, 550 से बने हाल खसरा नम्बर 1252, 1253, 1259, 1260, 1250 वाके ग्राम बास उदयसिंह तहसील विराटनगर वादी के बुजुर्गो की खातेदारी एवं वादीगण के कब्जे काश्त की कदीमी भूमि होने से, प्रतिवादीगण कब्जा काश्त नहीं होने से प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ?

तनकी संख्या 2 :– आया वादीगण के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ?

उक्त तनकीयात को साबित करने का भार वादीगण पर रहा, वादीगण का तर्क रहा कि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल Ex.-2 साबिक खसरा नम्बर 549 रकबा 5 बीघा 6 बिसवा से हाल खसरा नम्बर 1250/0.27, 1251/1.06 हैक्टेयर तथा साबिक खसरा नम्बर 550 से हाल खसरा नम्बर 1252/0.26, 1253/0.64, 1259/0.31, 1260/0.07, 1261/0.29 हैक्टेयर कायम किये गये। खसरा नम्बर 1252, 1253, 1259, 1260, 1250 पर वादीगण अपने बुजुर्गो के समय से काबिज काश्त है तथा वादीगण को लगातार कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गये है, खातेदार घोषित किया जावे। इस संबंध में यह कि साबिक खसरा नम्बर 549 रकबा 5 बीघा 6 बिसवा की खातेदारी प्रतिवादी के पिता शिवलाल तथा साबिक खसरा नम्बर 550 रकबा 6 बीघा की खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2031 शिवलाल पुत्र रामचन्दर, छाजू, घींसा, चुना पुत्रान रामसुख के नाम दर्ज रिकार्ड रही है, तथा नामान्तकरण संख्या 202 से शिवलाल के बजाय कालू के नाम दर्ज रिकार्ड हुई है।

प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 12 घींसा पुत्र रामसुख के वारिस है, घींसा के फौत होने पर पक्षकार मुकदमा है। साबिक खसरा नम्बर 550 रकबा 6 बीघा की खातेदारी कालू पुत्र शिवलाल एवं छाजू, घींसा, चूना पुत्रान रामसुख के नाम दर्ज रिकार्ड रही है, जो साबिक सैटलमेंट के समय श्योलाल पुत्र रामचन्दर व रामसुख पुत्र तेजा के नाम दर्ज रिकार्ड रही है।

अधिवक्ता प्रतिवादी का तर्क रहा कि आराजी मुतनाजा के हाल आराजी खसरा नम्बर 1251/1.06, 1261/0.29 हैक्टेयर की खातेदारी गणपत, छींतर पुत्र धूडा के नाम दर्ज रिकार्ड की गई, जिसमें गणपत के फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 250 के द्वारा विरासत से गणपत के हिस्सा 1/2 के बजाय ओमप्रकाश, हरिप्रसाद, रामनारायण, लाडा देवी के नाम अंकन स्वीकार हुआ है, जबकि आराजी मुतनाजा की खातेदारी साबिक सैटलमेंट के समय श्योलाल पुत्र रामचन्दर व रामसुख पुत्र तेजा के नाम दर्ज रिकार्ड

रही है। आराजी मुतनाजा की खातेदारी वादीगण के बुजुर्ग के नाम मिसल नम्बर 411/82 से दर्ज हुई है, जो मिसल अपूर्ण एवं अस्पष्ट है, क्योंकि उक्त मिसल का निर्णय किसके द्वारा तथा कब किया गया कुछ भी स्पष्ट नहीं है। यह भी कि सैटलमेंट कर्मचारियों को साबिक रिकार्ड की पुनरावृति करनी होती है, इन्द्राज परिवर्तन करने का उन्हें अधिकार नहीं है। सैटलमेंट कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय और आदेश के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टियों को बदलने के अधिकार नहीं होने के बावजूद वादीगण के बुजुर्ग धूडा पुत्र रामचन्द्र के नाम प्रतिवादीगण की भूमि का इन्द्राज किया है, जो काबिल दुरूस्ती है तथा सैटलमेंट के दौरान हुई गलतियों को दुरूस्त करने का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है। जहां, तक आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 1252, 1253, 1259, 1260, 1250 पर वादीगण के कब्जे काश्त का प्रश्न है, उसके संबंध में यह कि फसल गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राइट संबंधी दस्तावेज की तारीफ में नहीं आती है। महज एक वर्ष की गिरदावरी मे नाम आने के आधार पर वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है। यह भी कि लगातार कब्जा काश्त या एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का अधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है। जब वादीगण को प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि पर किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं बनता है, तो प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि आराजी मुतनाजा की साबिक खातेदारी प्रतिवादीगण के बुजुर्गो के नाम दर्ज रिकार्ड रही है, मात्र खसरा गिरदावरी के आधार पर वादीगण को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 व 2 विरूद्ध वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– आया आराजी जेरबहस पर वादीगण का या उनके बुजुर्गो का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा, न ही वादीगण, प्रतिवादीगण के सजरा खानदान मे है, वाद बिनाय हेतुक निराधार पेश होने से खारिज योग्य है ?

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण ने अपनी तनकियात के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 243 संवत् 2031–2034, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 20 संवत् 2035–2039, नकल खतौनी जमाबन्दी संवत् 2042, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 19, 21 संवत् 2062–2065 पेश की है, उक्त दस्तावेजात राजस्व अभिलेख हैं, जिन्हें नकराने का प्रश्न नहीं उठता है। यह भी कि हाल खसरा नम्बर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1251, 1261 की खातेदारी वादीगण के नाम तथाकथित मिसल संख्या 411/82 से दर्ज हुई है, जो मिसल अपूर्ण एवं अस्पष्ट है, क्योंकि उक्त मिसल का निर्णय किसके द्वारा तथा कब किया गया कुछ भी स्पष्ट नहीं है तथा सैटलमेंट कर्मचारियों को साबिक रिकार्ड की पुनरावृति करनी होती है, इन्द्राज परिवर्तन करने का उन्हें अधिकार नहीं है। सैटलमेंट कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय और आदेश के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टियों को बदलने के अधिकार नहीं होने के बावजूद वादीगण के बुजुर्ग धूडा पुत्र रामचन्द्र के नाम प्रतिवादीगण की भूमि का इन्द्राज किया है, जिसकी दुरूस्ती का वाद उनवानी कालू बनाम ओमप्रकाश मुकदमा नम्बर 35/2009 निर्णीत किया जा चुका है। आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है, जिस पर मात्र खसरा गिरदावरी के आधार पर वादीगण को कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते है, इस कारण प्रतिवादीगण की आराजी के विरूद्ध वादीगण को कोई वाद कारण भी उत्पन्न नहीं होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 3 बहक प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

9. उपर्युक्त समस्त तथ्यो एवं वादपत्र के संलग्न जमाबन्दी के अवलोकन उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूॅ कि साबिक रिकार्ड में आराजी जेरबहस प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजों के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। लगातार कब्जा काश्त एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। यह भी कि खसरा गिरदावरी एज ऑफ राइट दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण आराजी मुतनाजा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादी का वाद आधारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

वाद वादी सारहीन होन से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट बीलवाडी दिनांक 24.05.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बीलवाडी

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. ओमप्रकाश
2. हरिप्रसाद
3. रामनारायण

} पुत्रान गणपत, जाती गुर्जर निवासी बासउदयसिंह तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

4. लाडा देवी पत्नी गणपत (फौत, नाम हजफ आदेश दिनांक 05.04.2018)
5. बिमला पुत्री गणपत पत्नी डालूराम
6. कमली पुत्री गणपत पत्नी ओमप्रकाश

} जाती गुर्जर निवासी पणदौ तहसील विराटनगर, जयपुर

7. छींतर पुत्र धूडा जाती गुर्जर निवासी बासउदयसिंह हाल निवासी ढाणी चेचावाला तन आमलोदा तहसील विराटनगर

—: वादीगण

बनाम

1. कालू पुत्र शिवलाल
2. छाजू पुत्र रामसुख (फौत)
   - 2/1. भंवरलाल
   - 2/2. बहादुर
   - 2/3. गिरधारी
   - 2/4. सोहनलाल
   - 2/5. हंसराज

   } पुत्रान छाजू
   - 2/6. परभाती पत्नी शैतान पुत्र छाजू
   - 2/7. फूलचन्द
   - 2/8. बबलेश

   } पुत्रान शैतान

   जाती गुर्जर निवासी बासउदयसिंह तन बीलवाडी, तहसील विराटनगर जिला जयपुर

   - 2/9. धोली पुत्री शैतान पत्नी सीताराम
   - 2/10. बबली पुत्री शैतान पत्नी महेश

   } जाती गुर्जर निवासी भोजेरा तहसील विराटनगर

3. चूना पुत्र रामसुख
4. बिदामी पत्नी घींसा
5. मोती उर्फ श्रवण
6. श्योसहाय
7. प्रहलाद

} पुत्रान घींसा

जाती गुर्जर निवासी बासउदयसिंह तन बीलवाडी, तहसील विराटनगर जिला जयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8. गंगा
9. माना
10. धूडी
11. बब्बू
12. नाथी

पुत्रियां घींसा
जाती गुर्जर निवासी बास उदयसिंह
तहसील विराटनगर, जयपुर

13. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय तहसील विराटनगर, जयपुर
14. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 50/2009 **दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री गणपतलाल पंसारी एडवोकेट** व हाजरी ..... मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री आनन्दसिंह शेखावत एडवोकेट** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम बास उदयसिंह के खाता संख्या 21 में दर्ज हाल खसरा नम्बर 1252/0.26, 1253/0.64, 1259/0.31, 1260/0.07 हैक्टेयर किता 4 रकबा 1.28 हैक्टेयर से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से दखल नहीं करें।

कैम्प कोर्ट बीलवाडी में सुना गया। वादी का वाद दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। आराजी साबिक खसरा नम्बर 549, 550 की खातेदारी हाल भू–प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व प्रतिवादीगण के बुजुर्गो नाम दर्ज रिकार्ड रही है। लगातार कब्जा काश्त एडवर्स पजेशन के आधार पर वादीगण को कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी सारहीन होन से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट बीलवाडी दिनांक 24.05.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 24.05.2018** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर